

जुंझा जबर
चैनसिंह

राजस्थान सरकार

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सिवाना

क्रमांक - वाचक/2021/4322

दिनांक- 05.04.2021

--: आदेश :-

प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीगण के आधारकार्ड, परिचय पत्र, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता संख्या तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम धीरा पटवार हल्का धीरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर की जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 में खाता संख्या 189 व 190में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र. सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
		खसरा नम्बर		
1	धीरा	खाता संख्या 189 खसरा संख्या 161 रकबा 7.1225	चैना पुत्र जुंझा जबर पुत्र जुंझा जोगा पुत्र जुंझा नोपा पुत्र जुंझा भोपा पुत्र जुंझा	चैनसिंह पुत्र जेटूसिंह जबरसिंह पुत्र जेटूसिंह जोगसिंह पुत्र जेटूसिंह अनोपसिंह पुत्र जेटूसिंह भोपसिंह पुत्र जेटूसिंह जातियान पुरोहित निवासीयान धीरा
2	धीरा	खाता संख्या 190 खसरा संख्या 175 रकबा 5.2609	अनोपसिंह पुत्र जूठाजी चैनसिंह पुत्र जूठाजी जबरसिंह पुत्र जूठाजी जोगाराम पुत्र जूठाजी भोपाराम पुत्र जूठाजी	अनोपसिंह पुत्र जेटूसिंह चैनसिंह पुत्र जेटूसिंह जबरसिंह पुत्र जूठसिंह जोगसिंह पुत्र जेटूसिंह भोपासिंह पुत्र जेटूसिंह जातियान पुरोहित निवासीयान धीरा

(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

दिनांक- 05.04.2021

क्रमांक - वाचक/2021/4333 - 35

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थीगण अनोपसिंह पुत्र जेटूसिंह वगैरा जातियान पुरोहित निवासीयान धीरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
3. रक्षित पत्रावाली।



(कुसुमलता चौहान)

उपखण्ड अधिकारी, सिवाना